प्रेषक,

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर ।

सेवा में

प्रबन्धक
डी0ए0वी0पब्लिक जू0 हा0 स्कूल
बेहट रोड (सहारनपुर)
जनपद,सहारनपुर ।

पंत्राकः– प्रबन्ध / 394-98 /2008–09 / दिनॉक :– 30/12/2008

विषयः– जूनियर स्तर स्कूल की अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनॉक 30-10-08 में लिए गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646 / 15–06–917–18 एस (7)89 / शिक्षा (6)अनुभाग लखनऊ दिनॉक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती हैं ।

प्रतिबन्धः–

1:– प्रबन्धाधिकारण को अपने कर्मचारियों और शिक्षको को न्यूनतम वेजेजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन भुगतान करना होगा ।

2:– विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता,राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यो की सम्प्राप्ति के लिए जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।

3:– समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।

4:– शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा । भवन शुल्क / कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा ।

5:– मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेंदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होगे ।

6:– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सैक्शन न तो बन्द किया जायेगा और न खोला जायेगा,न समाप्त किया जायेगा ।

7:– विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी । विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग नही किया जायेगा ।

(क्रमशः–2)

Principal
D.A.V. Public School
Rasoolpur, Behat Road
Saharanpur

8:– विद्यालय में सभी वर्ग,धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।

9:– विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका उनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

10:– विभागीय आदेशों का पालन किया जायें ।

11:– विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक / अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जायें ।

12:– विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय –समय पर जारी कियें गयें निदेशों का पालन करेगा ।

13:– विभागीय आदेशों / नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

14:– अग्निशमन संयन्त्रों की समुचित व्यवस्था की जायें ।

भवदीय

मण्ड़लीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्ड़ल सहारनपुर ।

पु0सं0:– प्रबन्ध / ——— / 2007–08 तद्दिनॉक ।

1:– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक),उ0 प्र0 इलाहाबाद ।

2:– सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3:– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर ।

4:– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर ।

5:– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी सहारनपुर जनपदसहारनपुर ।

मण्ड़लीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्ड़ल सहारनपुर ।

Principal
D.A.V. Public School
Rasoolpur, Behat Road
Saharanpur

प्रेषक,